न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 41/2018

GCMS No. : 2018/00070

-:: वादीगण ::-	बनाम	-:: प्रतिवादीगण ::-
1. घासी पुत्र सुखा जाति-दमामी, निवासी-निम्बोल, तहसील-जैतारण, जिला-पाली राज.।		1. तहसीलदार, जैतारण जिला-पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.02/02/2018

उपस्थितः-

1. श्री नितेश चौहान, चेतन प्रकाश अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री जुगल किशोर, नायब तहसीलदार जैतारण एवं पैरोकार राज।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 25/08/2020**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा निम्बोल, पटवार हल्का निम्बोल, तहसील जैतारण, जिला पाली राज0 मे वाके आराजी खसरा नम्बर 1/1173 रकबा 10 बीघा कृषि भूमि वक्त आवंटन दिनांक 22/04/1976 को वादी को आवंटित की गई थी तथा वक्त आवंटन मे वादी का नाम घासीराम पुत्र सुखाराम जाति दमामी के नाम से आवंटन किया जाकर अमल दरामद किया गया, नकल आवंटन साथ पेश है।

उक्त सम्पति पर एवं आराजी पर वादी ही काबिज होकर कास्त करता चला आ रहा है, लेकिन आवंटन के बाद संवत 2036 से 2039 मे लिपिकीय त्रुटी एवं मानवीय भूलवश जमाबंदी मे घीसा पुत्र सुखा बावरी लिख दिया गया तथा इसी आधार का नामान्तरण संख्या 558 भी जारी कर दिया गया जो एक मानवीय एवं लिपिकीय भूल है, जिसे सुधारा जाना न्यायतन आवश्यक एवं जरूरी है एवं वादी ने हक अधिकारी एवं हितो के विरूद्ध होने एवं वादी ही उक्त सम्पति मे उक्त रोन्ग एन्टरी घीसा पुत्र सुखा बावरी को हटवाने एवं अपने सही व वास्तविक आवंटन के अनुसार नाम दर्ज करवाने एवं उसी अनुसार जमाबंदी नामान्तरण एवं राजस्व रेकर्ड दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी होने, उक्त सम्पति में खातेदार कास्तकार होने के कारण उक्त रोन्ग एन्टरी को हटाने एवं सही नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी होने

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Ver
Digitally signed by Bha
Date: 2020.09.04 12:1
Reason: SelfAttested

कारण यह वादपत्र बाबत् घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादी के श्रीमान् के समक्ष पेश है।

उक्त आराजी पर आवंटन से ही कब्जा व काश्त वादी का ही चला आ रहा है तथा मानवीय भूल व सहवन त्रुटीवश बाद आवंटन के जमावन्दी एवं नामान्तरण में गलत रूप से दर्ज नाम एवं जाति को दर्ज किया गया उक्त रेकर्ड को दुरूरत करावे एवं उसके स्थान पर आवंटन के अनुसार घासी पुत्र सुखा जाति दमागी का राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज कराने का वादी अधिकारी होने एवं उक्त आराजी मे अपने नाम की एवं खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है उक्त रोब्ग एन्टरी के सम्बन्ध में उक्त रोब्ग एन्टरी को सही करवाने हेतु दिनांक. 22.01.2018 को पटवारी महोदय को जानकारी होने पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया, लेकिन कानूनी कार्यवाही एवं वादपत्र पेश करने का कथन किया, जिस पर सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की।

उक्त आराजी जो आवंटन मे ही वादी के कब्जे काश्त की रही है मे अपने गलत दर्ज नाम जाति राजस्य रेकर्ड मे घीसा पुत्र सुखा बावरी को हटवाने एवं उसके स्थान पर अपने वास्तविक एवं सही नाम आवंटन के अनुसार घासी पुत्र सुखा जाति दमामी दर्ज एवं इन्द्राज कराने का हक अधिकारी होने एवं अपने हक अधिकारों के तहत होने वाली अपूणीय क्षति से बचने एवं ऐसी रेकर्ड दुरूस्त एवं रोब्ग एन्टरी को हटवाने व अपने वास्तविक नाम आवंटनानुसार की घोषणा करवाने का अधिकारी होने के कारण यह वादपत्र बावत् घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादी के श्रीमान के समक्ष सादर पेश है।

प्रतिवादी संख्या 1 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि एवं लेण्ड होल्टर तहसीलदार जैतारण है जिनके विरुद्ध वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है परन्तु उक्त वादपत्र अति आवश्यक प्रकृति का होने से तथा नोटिस देने में समय लगेगा तब तक वादपत्र करने का मकसद ही विफल हो जायेगा इसलिए बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 80 (2) सी.पी.सी. का वादपत्र के साथ संलग्न है।

बिनाय वाद दिनांक. 22.01.2018 को राजस्व रेकर्ड को सुधरवाने एवं उक्त रोब्ग एन्टरी एवं मानवीय व लिपिकीय त्रुटी व सहवन वश हुई भूल को सही करवाने एवं राजस्व रेकर्ड अपने सही व वास्तविक नाम इन्द्राज कराने बावत् प्रार्थनापत्र तहसीलदार एवं पटवारी महोदय आदि को पेश करने पर कानूनी कार्यवाही करने का कथन करने पर बमुकाम निम्बोल, पटवार हल्का निम्बोल, तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे उत्पन्न हुआ, जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे होने से अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश किया, जो सा.मि. है।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not V
Digitally signed by
Date: 2020.09.04 1
Reason: SelfAttes

तहसीलदार जैतारण ने जबावदावा पेश किया कि उपरोक्त वाद में प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण का जबाव दावा निम्नानुसार पेश हैं। दिनांक 26.10.2018 को स्वयं अधोहस्ताक्षर कर्ता द्वारा हल्का पटवारी एवं भू. निरीक्षक द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। उक्त वर्णित खसरे पर वादी या अन्य किसी का भी कब्जा न होकर उपरोक्त खसरा काफी वर्षो से बिना काश्त एवं बिना कब्जे के पड़ी हुई जिसे वादी बदनियति से स्वयं की खातेदारी बता रहा है।जमाबन्दी सवंत् 2036 से 2039 में गैर खातेदार घीसा पुत्र सुखा बावरी लिखा हुआ है एवं इसी खातेदार द्वारा भू.राजस्व लगान भी स्वंय द्वारा ही जमा करवाया गया है जो कि सिद्ध करता है कि इसका मूल खातेदार घीसा पुत्र सुखा बावरी ही है। अतः उक्त बिन्दु के तथ्य पूर्णतया अस्वीकार है। अन्य तथ्य एवं रेकर्ड वक्त बहस एवं गवाही प्रस्तुत किये जायेंगे। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा गठित टीम दिनांक 24.09.2018 द्वारा भी संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि उक्त आराजी पर वादी का कोई कब्जा नहीं है। साथ ही मूल खातेदार घीसा पुत्र सुखा बावरी जिसको खातेदारी प्रदान की गई उस समय खातेदारी प्रदान करने शर्ते भी पूर्ण नहीं होने के बावजूद बिना सक्षम अधिकारी के स्वीकृत आदेश के प्रदान की गई। पूर्व में भी उपरोक्त खसरे के मालिकाना हक को लेकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी श्रीमान के न्यायालय में वाद दायर किया जा चुका है। जो कि स्वीकार नहीं होने के भय से सहमति से विड्रो भी किया गया था। अतः उक्त नामान्तरकरण भी निरस्त योग्य होने से उक्त वाद भी निरस्त योग्य ही है। अन्य तथ्य एवं रेकर्ड वक्त बहस एवं गवाही प्रस्तुत किये जायेंगे। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा किये गये निरीक्षण में पटवारी हल्का निम्बोल एवं भू.अ. नि. निम्बोल ने पूर्व में दी गई रिपोर्ट के विपरीत स्वयं ने स्वीकार किया कि उक्त भूमि पर वक्त आवंटन से आदिनांक तक वादी का कहीं कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। साथ ही वर्तमान लट्ठा ट्रेस में उक्त खसरे की तरमीम नहीं होने से उक्त वादी का कब्जा कहां पर है। यह कहीं भी सिद्ध नहीं होने से उपरोक्त वाद निरस्तनीय है। अन्य तथ्य एवं रेकर्ड वक्त बहस एवं गवाही प्रस्तुत किये जायेंगे। उपरोक्त वाद सामान्य प्रकृति का होने से लैण्ड होल्डर तहसीलदार जैतारण को वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व सीपीसी की धारा 80 (2) के अन्तर्गत दो माह पूर्व विधिक नोटिस दिया जाना अतिआवश्यक है। अतः वादी द्वारा वांछित विधिक नोटिस नहीं दिये जाने से वाद पूर्णतया निरस्तनीय है। अन्य तथ्य एवं रेकर्ड वक्त बहस एवं गवाही प्रस्तुत किये जायेंगे। आदिनांक तक वादी द्वारा उपरोक्त सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र तहसीलदार जैतारण को प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस तरह क०ज अ०फ एक्शन सिद्ध नहीं होने से वाद पूर्णतया निरस्तनीय है। अन्य तथ्य एवं रेकर्ड वक्त बहस एवं गवाही प्रस्तुत किये जायेंगे। संलग्न संयुक्त टीम की रिपोर्ट एवं अधोहस्ताक्षर कर्ता की मौका पर्चा अनुसार वादी का उपरोक्त विवादित जमीन पर आदिनांक तक कब्जा नहीं रहने से मूल खातेदार को प्रतिवादी नहीं बनाने से उपरोक्त वाद निरस्तनीय

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2020.09.04 1
Reason: SelfAtteste

होने से वाद पत्र को निरस्त फरमावें। अन्य तथ्य एवं रेकर्ड वक्त बहस एवं गवाही प्रस्तुत किये जायेंगे।

वादी द्वारा अपने पक्ष में बतौर साक्ष्य प्रदर्श P-1 नकल भूमि आवंटन आदेश दिनांक 22.04.1976, प्रदर्श P-2 -नकल भू. अ. निरीक्षक निम्बोल की रिपोर्ट दिनाँक 12.09.2018, प्रदर्श P-3 नकल जमाबंदी ग्राम निम्बोल, संवत् 2032-35, प्रदर्श P-4, नकल जमाबंदी ग्राम निम्बोल संवत् 2036-2039, प्रदर्श P-5, नकल जमाबंदी ग्राम निम्बोल संवत् 2073-2076, प्रदर्श करवाएं एवं बतौर साक्षी P.W. -1 बयान वादी श्री घासीराम पुत्र सुखाराम कौम-दमामी, P.W. -2 शपथ पत्र एवं बयान श्री गुलाम हुसैन पुत्र इब्राहिम खाँ कौम-मुसलमान, P.W. -3 शपथ पत्र एवं बयान श्री सुगनचंद पुत्र पेमाराम कौम-मेघवाल, P.W. -4 शपथ पत्र एवं बयान श्री रमेश पुत्र रतनाराम कौम- देवासी, P.W. -5 शपथ पत्र एवं बयान जवरीलाल पुत्र डूंगरराम, कौम-चौकीदार सभी निवासी निम्बोल प्रस्तुत कर प्रदर्श करवाएं एवं बयान कलमबद्ध करवाएं। हमने प्रकरण में उभयपक्ष में बहस सुनी और उस पर मनन किया। हम प्रकरण विवाद्यक अनुसार विवेचन एवं निर्णय करना चाहते हैं, जो निम्नानुसार है :-

(1) विवाद्यक संख्या-1 आया मौजा निम्बोल के खसरा नम्बर 1/1173 रकबा 10-00 बीघा दिनांक 22.04.1976 को घासी पुत्र सुखा दमामी के नाम आवंटित हुआ था। पटवारी हल्का ने लिपिकीय त्रुटि से घासी पुत्र सुखा बावरी दर्ज कर दिया था?

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श P-1 नकल भूमि आवंटन पत्र दिनांक 22.04.1976 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सलाहकार समिति द्वारा ग्राम निम्बोल के 57 भूमिहीन काश्तकारों को भूमि आवंटन की गई उनमें क्रं. संख्या 37 पर घासीराम पुत्र सुखाराम दमामी दर्ज है। सलाहकार समिति की बैठक कार्यवाही विवरण से भी इसकी पुष्टि होती है। प्रतिवादी तहसीलदार के जवाबदावा, संयुक्त जाँच रिपोर्ट एवं मौका रिपोर्ट दिनाँक 26.10.2018 से भी यह साबित होता है कि सलाहकार समिति द्वारा दिनाँक 22.04.1976 को वादी को वादग्रस्त आराजी आवांटित की गई थी। प्रदर्श P -2 नकल भू. अ. निरीक्षक निम्बोल की रिपोर्ट से भी यह तथ्य सिद्धि होता है। नामातंरण पंजिका ग्राम-निम्बोल के नामांतरण संख्या 558 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामांतरण घासीराम पुत्र सुखाराम बावरी के नाम से स्वीकृत किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण एवं भू. अ. निरीक्षक, निम्बोल की जाँच रिपोर्ट, संयुक्त जाँच रिपोर्ट एवं पटवारी मौका रिपोर्ट से भी वादी के इस कथन पुष्टि होती है कि तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने आवंटी के नाम नामांतरण की कार्यवाही करने के दौरान आवंटी की जाति जो आवंटन पत्र में दमामी दर्ज थी को सहवन से बावरी दर्ज कर दिया गया। बावरी और दमामी दोनों ही अनुसुचित जाति के अंतर्गत आते हैं। तत्पश्चात उपर्युक्त स्वीकृत नामांतरण का जमाबंदी में भी घासीराम पुत्र

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Ve
Digitally signed by Bh
Date: 2020.09.04 12:
Reason: SelfAttested

सुखाराम, जाति बावरी के नाम अमलदरामद हो गया जो वर्तमान में भी बदस्तूर जारी है। प्रदर्श P-3, जमाबंदी संवत् 2032-2035, प्रदर्श P-4, जमाबंदी संवत् 2036-2039, प्रदर्श P-5, जमाबंदी संवत् 2073-2076, ग्राम-निम्बोल के अवलोकन से इसी पुष्टि होती है। इस प्रकार उपलब्ध दस्तावेजों साक्ष्य एवं प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण के जवाब से यह निर्विवाद साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी वादी घासीराम पुत्र सुखाराम दमामी, निवासी-निम्बोल को सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 22.04.1976 को आवंटित की गई थी, परंतु आवंटन आदेश का नामांतरण स्वीकृत करते समय तत्कालीन राजस्व आधिकारियों ने त्रुटि से घासीराम पुत्र सुखाराम दमामी के स्थान पर घासीराम पुत्र सुखाराम बावरी दर्ज कर दिया जो कि एक त्रुटि है तथा इसके लिए वादी को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है, इस प्रकार वादी द्वारा यह विवाद्यक भली भाँति सिद्ध करने एवं प्रतिवादी द्वारा इसे असिद्ध करने मे असफल रहने से यह विवाद्यक बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित किया जाता है।

(2). विवाद्यक संख्या-2. आया वादी आवंटन अनुसार घासीर पुत्र सुखाराम जाति- दमामी, निवासी- निम्बोल वादग्रस्त आराजी मौजा निम्बोल के खसरा नम्बर 1/1173 रकबा 10-00 बीघा किस्म बारानी दोयम की खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी हैं?

यह विवाद्यक साबित करनें की जिम्मेदारी वादी की हैं। पूर्व निर्णित विवाद्यक संख्या-1 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सलाहकार समिति द्वारा दिनाँक 22.04.1976 को वादी घासीराम पुत्र सुखाराम, जाति-दमामी, निवासी- निम्बोल, को आवंटित की गई थी परंतु आवंटन आदेश को नामांतरण स्वीकृत करते समय दमामी के स्थान पर बावरी जाति दर्ज कर दी गई। यह विशुद्ध रूप से राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटि है, तथा नामांतरण के वक्त की गई त्रुटि का हुबहु जमाबंदी में अमलदरामद किया गया जो वर्तमान में भरी दर्ज है। वादी द्वारा इस संबंध में न्यायालय के आदेश से स्थानीय समाचार पत्र में सूचना का प्रकाशन करवाया साथ ही ग्राम-निम्बोल के अलग-अलग जातियों के स्थानीय निवासियों के बयान भी दर्ज करवाएं जिससें स्पष्ट है कि ग्राम-निम्बोल में घासीराम पुत्र सुखाराम बावरी नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। पटवारी मौका रिपार्ट, भू. अ. निरीक्षक निम्बोल की रिपोर्ट से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस प्रकार वक्त नामांतरण तत्कालीन राजस्व अधिकारियों द्वारा भली भाँति जाँच नहीं की गई और न ही बाद में ऐसी त्रुटि को सही करनें का कभी कोई प्रयास किया गया। वादी के वादग्रस्त आराजी में भूमि आवंटन दिनाँक 22.04.1976 से ही खातेदारी अधिकार निहित हो चुके हैं। तहसीलदार, जैतारण त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को शुद्ध न करवाकर खातेदारी अधिकार भी गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान कर की जा चुकी है। प्रतिवादी ने वादी की गलत प्रविष्टि को शुद्ध करते हुए खातेदारी अधिकार की घोषणा न करनें का कोई विधिक आधार प्रस्तुत नहीं किया हैं। आवंटन आदेश

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not V
Digitally signed by
Date: 2020.09.04 1
Reason: SelfAttest

भी आज दिनाँक तक प्रभावी है, तथा उसका क्रियान्वयन भी किया जा चुका है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादी इस विवाद्यक को भली भाँति साबित करने में सफल रहा हैं, साथ ही प्रतिवादी इसे ना साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है, लिहाजा इसे बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित किया जाता है।

(3). विवाद्यक संख्या-3 आया वादग्रस्त आराजी मौजा निम्बोल के ख. न. 1/1173 रकबा 10-00 बिघा घीसा पुत्र सुखा बावरी के नाम से पूर्व मे गैर खातेदारी एवं वर्तमान में खातेदारी दर्ज होने से वादी का वाद खारिज होने योग्य हैं ?

यह विवाद्यक सिद्ध करने की जिम्मेदारी वादी की हैं। पूर्व निर्णित विवाद्यक संख्या 1 व 2 के विवेचन से यह स्पष्ट हैं कि वादग्रस्त आराजी सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 22.04.1976 को वादी घासीराम पुत्र सुखाराम दमामी निवासी निम्बोल के नाम से आवंटित हुई थी परन्तु तत्कालीन राजस्व अधिकारीयों ने आवंटन आदेश का नामांतरण स्वीकृत करते समय वादी की कौम दमामी के स्थान पर बावरी दर्ज कर दी गई जो कि त्रुटि है तथा प्रतिवादी की यह जिम्मेदारी थी कि वह उक्त त्रुटि शुद्धि हेतु आवश्यक जाँच एवं कार्यवाही करते परन्तु तहसीलदार द्वारा भू. अभिलेख में त्रुटि के बावजूद गैर खातेदारी से खातेदारी का अंकन कर दिया गया परन्तु इसके लिए वादी कतई जिम्मेदार नहीं माना जा सकता तथा भू अभिलेख में हुई त्रुटि से खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं हो सकते तथा न ही वादी का वाद अधिकार इससे बाधित होता है। प्रतिवादी स्वयं अपने जवाब दावे, मौका रिपोर्ट एवं भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल की रिपोर्ट में इस तथ्य को स्वीकार करते है कि वक्त नामांतरण वादी की कौम दर्ज करने में त्रुटि हुई हैं। इस प्रकार प्रतिवादी इस विवाद्यक को भली भाँति साबित करने में असफल रहा है लिहाजा इसे विरूद्ध प्रतिवादी एवं बहक वादी निर्णित किया जाता है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन एवं विवाद्यक अनुसार पृथक-पृथक निर्णय के आधार पर निष्कर्षतः हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादी अपना वाद साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है, लिहाजा हम वाद वादी स्वीकार करते हुए डिक्री किया जाना विधिसम्मत समझते हैं।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवाद्यक अनुसार पृथक-पृथक विवेचन एवं निर्णय के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी ग्राम-निम्बोल तहसील-जैतारण जिला-पाली खसरा संख्या 1/1173 रकबा 10-00 बीघा, किस्म बारानी दोयम में बतौर खातेदार दर्ज प्रविष्टि घीसा पुत्र सुखा कौम बावरी सा. देह मे से त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि **''बावरी''** के स्थान पर आवंटन सलाहकार समिति के आवंटन आदेश दिनांक 22.04.1976 में दर्ज मूल प्रविष्टि दमामी से विलोपित करते हुए वादी घासीराम पुत्र सुखाराम दमामी

Signature Not Ver
Digitally signed by Bha
Date: 2020.09.04 12:
Reason: SelfAttested
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निवासी निम्बोल तहसील-जैतारण जिला-पाली को उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करते हुए इसी कदर वाद डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस आदेश का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से 1 कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण, (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 25/08/2020 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण, (जिला-पाली)

Signature Not Ve
Digitally signed by Bh
Date: 2020.09.04 12:
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 41/2018
GCMS No. : 2018/00070

-:: वादीगण ::- बनाम -:: प्रतिवादीगण ::-

1. घासी पुत्र सुखा जाति- दमामी, निवासी- निम्बोल, तहसील-जैतारण, जिला-पाली राज.।

1. तहसीलदार, जैतारण जिला-पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत घोषणा
अन्तर्गत धारा 88,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :- रा0वा0 स0: 41/2018

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री नितेश चौहान, चेतन प्रकाश अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री श्री जुगल किशोर, नायब तहसीलदार एवं सरकारी पैरोकार राज, मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः उपर्युक्त विवाद्यक अनुसार पृथक-पृथक विवेचन एवं निर्णय के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी ग्राम-निम्बोल तहसील-जैतारण जिला-पाली खसरा संख्या 1/1173 रकबा 10-00 बीघा, किस्म बारानी दोयम में बतौर खातेदार दर्ज प्रविष्टि घीसा पुत्र सुखा कौम बावरी सा. देह मे से त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि "**बावरी**" के स्थान पर आवंटन सलाहकार समिति के आवंटन आदेश दिनांक 22.04.1976 में दर्ज मूल प्रविष्टि दमामी से विलोपित करते हुए वादी घासीराम पुत्र सुखाराम दमामी निवासी निम्बोल तहसील-जैतारण जिला-पाली को उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करते हुए इसी कदर वाद डिक्री किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से 1 कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 25/08/2020 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण, (जिला-पाली)
सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03	-00	स्टाम्प वकालतनामा	01	-00
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	06	-00	मिजानः-	01	-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Ve
Digitally signed by Bh
Date: 2020.09.04 12:
Reason: SelfAttested